T2017041248016958

न्यायालय उप जिलाधिकारी, नवाबगंज, बाराबंकी।

वाद संख्या : 07 / 2017

अ0धारा–80 उ0प्र0रा0संहिता 2006
ग्राम–बबुरीगॉव परगना–देवा
तहसील–नवाबगंज, बाराबंकी।

दीपक बनाम सरकार

छायाप्रति नकल आदेश दिनांक 21/6/17

दीपक पुत्र मिश्रीलाल, निवासी ग्राम 297 ब्लाक बी, दयाल रेजीडेन्सी, फैजाबाद रोड लखनऊ की ओर से प्रार्थना पत्र, समर्थित शपथ पत्र उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा–80 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया गया है, कि गाटा संख्या–669ग/0.835, 875ठ/0.341 हे0 कुल दो किता रकबा 1.176 हे0 भूमि स्थित ग्राम–बबुरीगॉव,परगना देवॉ, तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी का प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर दर्ज कागजात है। उपरोक्त भूमि के आस पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान होने के कारण कृषि कार्य होना सम्भव नही हो पा रहा है। इसलिए उक्त भूमि को धारा–80 उ0प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किए जाने हेतु याचना की गयी है।

प्रश्नगत प्रकरण की जाचं तहसीलदार नवाबगंज से भी करायी गयी। तहसील की आख्या दि0 25–05–2017 में उल्लिखित किया गया है कि ग्राम–बबुरीगॉव, परगना देवा तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी की खाता सख्या 414 की गाटा संख्या 669ग/0.835, 875ठ/0.341 हे0 कुल दो किता रकबा 1.176 हे0 भू0रा0 26.15 का प्रार्थी संक्रमणीय भूमिधर काबिज है। सन्दर्भित भूमि पर प्लाटिंग व सडक का निर्माण किया गया है। सन्दर्भित भूमि से सम्बन्धित सी0एच0–41 व 45 तथा फोटोग्राफ्स सहित उक्त भूमि को धारा–80 उ0 प्र0 राजस्व संहिता के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किए जाने की रिपोर्ट प्रेषित की गयी है। प्रार्थी द्वारा नियम 85(2) यू0पी0आर0सी0 2006 के अन्तर्गत तहसील आख्या के आधार पर उद्घोषणा शुल्क रू0–49,392.00 (उन्चास हजार तीन सौ बान्नबे रू0) चा0सं0–1/206 दिनांक 29–05–2017 जमा कर, दिया गया है। चालान की प्रति संलग्न है।

3-7-017

मैंने तहसील की आख्या एवं पत्रावली पर उपलब्ध खतौनी, जोत चकबन्दी आकार पत्र 41 व 45 व मौके के फोटोग्राफ सहित समस्त अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया। सन्दर्भित भूमि पर प्लाटिंग व सडक का निर्माण किया गया है। उक्त भूमि के आस पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है। अतएव प्रश्नगत भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने मे कोई विधिक अडचन नही है।

अतः ग्राम–बबुरीगॉव परगना देवा तहसील–नवाबगंज, जिला–बाराबंकी की वर्तमान खतौनी 1423–1428 फ0 की खाता संख्या–414 की गाटा संख्या–669ग/0.835, 875ठ/0.341 हे0 कुल दो किता रकबा 1.176 हे0 भू0रा0 परता खाता को अकृषिक प्रयोजन में प्रयुक्त भूमि घोषित किया जाता है। तहसील की जांच आख्या दिनांक 25–05–2017 आदेश का अंग रहेगी। आदेश की एक प्रति उप निबन्धक नवाबगंज, बाराबंकी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाये। परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद अमलदरामद पत्रावली संचित राजस्व अभिलेखगार की जाये।

दिनांकः–21 जून 2017

21.06.17

(सुनील कुमार वर्मा)
उप जिलाधिकारी,
नवाबगंज–बाराबंकी।

007
6/7/17
7/7/17
3-7
404 अठ्ठलाम
2
10/7/17

छायाप्रति
TRUE COPY
10/7/17